<u>न्यायालयः – दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, तहसील</u> <u>बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.</u>

<u>दाण्डिक प्रकरण क्रमांक—756 / 12</u> <u>संस्थित दिनांक—18 / 09 / 2012</u> <u>फाई.क. 234503000032012</u>

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड, जिला बालाघाट म०प्र०।

....अभियोजन

<u>विरुद्ध</u>

–ः निर्णय ः–

-::दिनांक-<u>23 / 01 / 2018</u> को घोषित::-

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 304ए(दो बार), 338 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—30/07/2012 को प्रातः 10:15 बजे ग्राम मंडई में भागचंद पटले के घर के पास मेन रोड अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में वाहन बस कमांक एम.पी.50/ई—0168 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मोटरसाइकिल क. एम.पी.50/बी—2872 को ठोस मारकर उसमें बैठे मृतक चिमनलाल और मृतक सुन्दरलाल की मृत्यु इस प्रकार कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मोटरसाइकिल क. एम.पी. 50/बी—2872 को ठोस मारकर उसमें बैठे प्रवीण को घोर उपहित कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी भागचंद पटले ने पुलिस थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक—30/07/2012 को 10:15 बजे प्रतिदिन की तरह पटेल कंपनी की बस फरियादी के गांव में उसके मकान से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी तभी बहुत जोर की आवाज आई थी। फरियादी ने रोड पर निकलकर देखा था तो तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित रोड पर गिरे थे। फरियादी देखने गया था उसी समय रमेश चौधरी भी आया था। घटनास्थल पर प्रवीण बिसेन, चिमनलाल

कटरे और सुदर इनवाती गिरे पडे थे। पटेल बस के ड्रायवर ने बस को तेज गति से लापरवाहीपूर्वक मंडई तरफ से चलाते हुए लाकर चिमनलाल की सुजुकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। टक्कर मारने से चिमनलाल कटरे और सुदरलाल इनवाती दोनों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी थी। प्रवीण बिसेन घायल हो गया था। मोटरसाइकिल सामने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी थी, बस ड्रायवर साईंड से पिचक गयी थी। दोनो मृतक एव आहत प्रवीण कुमार को सिर् पर चोट आयी थी। बस हरे रंग की थी जिसका नम्बर एम.पी.50 / ई—0168 था। ड्रायवर बस लेकर मलाजखण्ड़ की तरफ भाग गया था। पुलिस थाना मलाजखण्ड ने मृतक चिमनलाल कटरे एवं सुन्दरलाल इनवाती का पी.एम. कराकर एवं आहत का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक-86 / 12 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

- प्रकरण में अभियुक्त को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 304ए(दो बार), 338 का अपराध विवरण बनाकर पढ़कर सुनाया एवं समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

- क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—30/07/2012 को प्रातः 10:15 बजे ग्राम मंडई में भागचंद पटले के घर के पास मेन रोड अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में वाहन बस क्रमांक एम. पी. 50 / ई-0168 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मोटरसाइकिल एम.पी.50 / बी-2872 को ठोस मारकर उसमें बैठे मृतक चिमनलाल और मृतक सुन्दरलाल की मृत्यु इस प्रकार कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

3

क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मोटरसाइकिल क. एम.पी.50 / बी-2872 को ठोस मारकर उसमें बैठे प्रवीण को घोर उपहति कारित किया ?外

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय बिन्दु कि -1, 2 एवं 3 का निराकरण

- प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नही हो इस कारण सभी विचारणीय बिदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- ्रप्रवीण बिसेन अ.सा.०७ का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना दिनांक 30.07.2012 की सुबह के लगभग 10:00 बजे की ग्राम चकरवाही के पास की है। मृतक सुदरलाल साक्षी का चाचा था। घटना दिनांक को साक्षी चिमनलाल के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर ग्राम खोलवा से पलेरा जा रहा था। मोटरसाइकिल ग्राम चकरवाही के मोड़ पर अपने साईड में थी। सामने से पटेल बस आई थी एवं मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के पश्चात साक्षी बेहोश हो गया था। साक्षी बस चालक को नहीं देख पाया था। दुर्घटना पटेल बस चालक की गलती से हुई थी। घटना में साक्षी का दायां हाथ टूट गया था साक्षी को बाए पैर, कमर, सिर में चोट आयी थी। घटनास्थल पर चिमनलाल की मृत्यु हो गयी थी। घटना के कुछ समय पूर्व ही सुंदरलाल मोटरसाइकिल में बैठा था और कुछ देर के बाद घटना हो गयी थी। साक्षी का ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में हुआ था उसके बाद बालाघाट में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना मोड़ पर अचानक हुई थी या कैसे हुई थी साक्षी को पता नहीं है।
- भागचंद अ.सा.02 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से 8-दो वर्ष पूर्व की दिन के 10:30 बजे की है। घटना के समय वह अपने घर पर था। आवाज होने पर साक्षी ने घर से निकलकर देखा था। दो—तीन व्यक्ति गिरे पड़े हुए थे। उनकी मोटरसाइकिल पिचकी हुई पड़ी थी। घटनास्थल पर पटेल बस के ड्रायवर ने थोड़ी देर बस को रोका था, इसके बाद थाना चला गया था। घटना के बाद रमेश चौधरी घटनास्थल पर आया था। घटना के थोड़ी देर बाद प्रवीण को होश आया था। साक्षी ने ईलाज के लिए प्रवीण को

अस्पाल भिजवाया था। साक्षी ने थाने में जाकर प्र.पी.02 की रिपोर्ट लिखायी थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.03 साक्षी के समक्ष बनाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। प्र.पी.02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में साक्षी ने यह नहीं बताया था कि उसने घटना होते हुए देखी थी एवं घटना कैसे घटी थी।

रमेश चौधरी अ.सा.03 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पूर्व की दिन के 10:30 बजे की है। घटना के समय साक्षी बस के पीछे एक मकान के पास खड़ा था। आवाज आयी थी तब साक्षी ने देखा था। तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित गिर गये थे। साक्षी ने पास जाकर देखा था दो व्यक्ति मर चुके थे एक व्यक्ति घायल अवस्था में था। सूचना देने पर पुलिस घटनास्थल पर आयी थी। दोनो मृतक को पोस्टमार्टम के लिए एवं घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया था। साक्षी ने पुलिस को घटना के संबंध में बयान दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। पुलिस ने साक्षी के समक्ष कोई बस जप्त नहीं की थी। प्र.पी.08 के जप्ती पत्रक में क्या लिखा था साक्षी ने पढकर नहीं देखा था।

10— बृजलाल अ.सा.04 का कथन है कि आहत प्रवीण उसका भतीजा है। वह घटना के एक दिन पहले उसके भतीजे प्रवीण के साथ ग्राम खोलवा गया था। ग्राम खोलवा से दो–तीन दिन बाद प्रवीण अकेला पल्हेरा स्कूल जा रहा था। तब साक्षी को ग्राम पल्हेरा के मुन्नु खोब्रागढ़े ने सूचना देकर बताया था कि सुंदरलाल और चिमनलाल का एक्सीडेण्ट हो गया है। साक्षी ने बिरसा अस्पताल में जाकर देखा था। साक्षी के भतीजे प्रवीण को पैर, हाथ एवं कमर पर चोट लगी थी। प्रवीण को प्राथमिक उपचार के बाद बालाघाट ले गये थे। पुलिस ने घटना के संबंध में साक्षी के बयान लिये थे। साक्षी को इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था।

लालीमा इनवाती अ.सा.०१ का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। सुन्दरलाल उसके पिता थे। घटना 30 तारीख वर्ष 2012 की दिन के 10:30 बजे की ग्राम चकरवाही की है। साक्षी के पिता चिमनलाल के साथ स्कूल जाने के लिए निकले थे। साक्षी को फोन से सूचना मिली थी कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। साक्षी ने घटनास्थल पर जाकर देखा था तो उसके पिता एवं चिमनलाल खून से लतपथ पड़े हुए थे। साक्षी उसके पिता एवं चिमनलाल को घटनास्थल से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले गयी थी। साक्षी को पता चला था कि पटेल बस वाले ने टक्कर मार दी थी। साक्षी ने पुलिस को पूछताछ करने पर यह बताया था कि बस को काफी तेजी से चलाया जा रहा था। साक्षी ने प्र.पी.01 के पुलिस कथन का ए से ए भाग पुलिस को देना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस बयान प्र.पी.01 में यह नहीं बताया है कि बस को काफी तेजी से चलाया जा रहा था। यह साक्षी घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी।

12— कुमेश्वरी कटरे अ.सा.05 का कथन है कि मृतक चिमनलाल उसके पित थे। घटना 30 जुलाई वर्ष 2012 की दिन के करीब 10:00 बजे ग्राम चकरवाही रोड की है। साक्षी के पित मलाजखण्ड से पल्हेरा अपनी मोटरसाइकिल से भटलाई स्कूल जा रहे थे। अभियुक्त ने पटेल बस को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए साक्षी के पित को टक्कर मार दी थी। जिससे साक्षी के पित को सिर में चोट लगी थी। मोटरसाइकिल पर साक्षी के पित के साथ बैठे सुंदरलाल को भी चोट लगी थी। साक्षी के पित की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने साक्षी से घटना के संबंध में पूछताछ की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह पित के साथ मौजूद नहीं थी। साक्षी ने घटना होते हुए नहीं देखी थी। साक्षी को भागचंद ने घटना के बारे में बताया था। भागचंद का घटनास्थल के पास मकान है। परंतु भागचंद स्वयं ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। ऐसी स्थित में कुमेश्वरी कटरे अ.सा.05 की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है।

13— भागवती अ.सा.06 का कथन है कि मृतक सुदरलाल उसके पित थे। घटना वर्ष 2012 की दिन के लगभग 10—11 बजे की ग्राम चकरवाही की है। गांव के व्यक्तियों ने साक्षी को आकर बताया था कि उसके पित का एक्सीडेण्ट हो गया है। तब साक्षी घटनास्थल पर गयी थी। घटनास्थल पर साक्षी के पित सुदरलाल एवं आहत चिमनलाल की मृत्यु हो गयी थी वह रोड पर पड़े थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना बस चालक की

गलती से हुई थी, इस बात की जानकारी साक्षी को किस व्यक्ति ने दी थी साक्षी को पता नहीं है।

14— गोपाल राव पटले अ.सा.12 का कथन है कि घटना कब की है उसे पता नहीं है। साक्षी घटना के बारे में नहीं जानता है। सुंदरलाल एवं चिमनलाल के एक्सीडेण्ट की साक्षी को जानकारी नहीं है। संतोष कुमार पटेल अ.सा.10 का कथन है कि उसकी बस कमांक एम.पी.50/ई—0168 को अभियुक्त ओमकार दिनांक 30.07.2012 को चलाकर बालाघाट आ रहा था। इस संबंध में साक्षी ने पुलिस थाना मलाजखण्ड़ के मांगने पर आवेदन लिख कर दिया था जो प्र.पी.11 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

एम. मेश्राम अ.सा.०८ का कथन है कि वह दिनांक 30.07.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनाक को थाना मलाजखण्ड का आरक्षक कमल क्रमांक–701 आहत प्रवीण को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। साक्षी ने आहत प्रवीण का मेडिकल परीक्षण करने पर उसे निम्न उपहतियां पायीं थी-चोट क01-माथे के मध्य भाग पर एक कटीफटी चोट जिसका आकार ढाई इंच गुणा आधा इंच गुणा आधा इंच का था। चोट क.02- दाहिने भौं की बाहर की ओर एक खरौंच जिसका आकार एक इंच गुणा इंच का था। चोट क.03–दाहिनी कनपटी पर एक खरोंच जिसका आकार सवा इंच गुणा एक इंच था। चोट क04–दाहिनी कलाई के मध्य भाग पर एक खरोंच जिसका आकार पौन इंच गुणा आधा इंच था। चोट क05–दाहिने घुटने के बाहर की ओर एक खरोंच जिसका आकार एक इंच गुणा पौन इंच था। चोट क06-दाहिने पैर पर बहुत सारी खरौंच थीं जिन्हें नापना संभव नहीं था। चिकित्सक के अभिमत में आहत की सभी चोटें कड़ी, बोथरी, खुरदुरी वस्तु द्वारा अथवा रोड एक्सीडेण्ट से होना दर्शित हो रही थीं। आहत की सभी चोटें चिकित्सक के परीक्षण से दो घण्टे के पूर्व की थीं। आहत की चोट क01 को छोड़कर सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं। चोट क01 में हेड इंजूरी की संभावना को देखते हुए चिकित्सक ने, खोपड़ी का एक्सरे, उपचार एवं अभिमत के लिए आहत को जिला चिकित्सालय विशेषज्ञ के पास रिफर किया था। चिकित्सक का परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.09 है।

16— एल.एन.एस.उइके अ.सा.०९ का कथन है कि वह दिनांक 30.07.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा मैं चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड़ से आरक्षक लिखेश्वर क 823 मृतक 7

चीमनलाल एवं सुंदरलाल के शव को शव परीक्षण के लिए लेकर आया था। साक्षी ने मृतक चिमनलाल एवं सुंदरलाल के शव का परीक्षण करने पर उनके शरीर में मृत्यु की स्थिति में उपस्थित राईजर बाडीज दोनो हाथ व पैर में पाया था। चिकित्सक ने मृतक चिमनलाल के शव परीक्षण में निम्न चोट पायीं थी-चोट क01-कटाफटा घाव जो उसके दाये कपाल पर था। जिसकी लम्बाई 2 इंच चोडाई 1 इंच थी। इस चोट का स्वरूप जानलेवा एवं गंभीर किरम का था। उसी से संबंधित निचले भाग की हडडी और मांसपेशियां भी टूटीफूटी थी। मृतक की दीमांग की झिल्ली, सेरीबृल हेमीस्फियर, सेरीब्रम एवं अन्य दिमांग के कोमल भाग क्षतिग्रस्त हो गये थे। चोट क02- दायें जांघ की हड्डी घुटने के उपर टूटी हुई थी। चोट गंभीर किस्म की जानलेवा चोट थी। चोट क्03-कटाफटा घाव छाति के दायें भाग में स्थित था जिसकी लम्बाई 2 इंच चौडाई 1 इंच उसका क्लेविकल बोन भी फैक्चर थी। उपरी दायें भाग की तीन उपरी पसलियां स्ट्निल ज्वाइंट के निकट के भाग से हडडी टूटी हुई थी। चोट क04-दायें भाग का जबडा टूटा हुआ पाया था। जो गंभीर एवं जानलेवा स्वरूप का था। चोट क05— बायें पैर के जोड की हडडी भी फैक्चर थी। उपरोक्त पांचों चोटे एवं घाव, जानलेवा एवं गंभीर स्वरूप के थे। चिकित्सक ने मृतक सुंदरलाल के शव परीक्षण में निम्न चोट पायीं थी-चोट क01-कटाफटा घाव लम्बाई 2 इंच चोडाई 1.5 इंच जो मांसपेशियों की गहराई तक थी। चोट से हडडी प्रभावित हुई थी। घाव से खून का स्त्राव पाया गया था। घाव से संबंधित भाग की निचली हडडी टूटी हुई थी। चोट कड़ी व बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। यह चोट जानलेवा एवं गंभीर किरम की थी। चोट सिर के कपाल के सामने भाग में स्थित थी। चिकित्सक ने मृतक चिमनलाल एवं सुदरलाल बाह्य व आंतरिक परीक्षण में-दोनों के शरीर औसत कद काठी के पाये थे। चिकित्सक के अभिमत में चिमनलाल की मृत्यु का कारण गंभीर व जानलेवा चोट लगने एवं मृतक सुंदरलाल की मृत्यु का कारण सिर के कपाल में गंभीर व जानलेवा चोट लगने एवं दोनों मृतकों का अत्यधिक रक्त स्त्राव होने से सॉक या सिनकोपी के फलस्वरूप हुई थी। दोनो की मृत्यु शव परीक्षण के समय छः से बारह घण्टे के अंदर हुई थीं। चिकित्सक द्वारा मृतकों की दी गयीं परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09ए एवं 10 हैं, जिन पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं।

17— मनोज मांगरे सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.11 का कथन है कि दिनांक 30.07.2011 को फरियादी भागचंद पटले ने थाना मलाजखण्ड़ में आकर घटना के संबंध में सूचना दी थी, जिसके आधार पर साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.02 लेखबद्ध की थी। साक्षी ने उक्त दिनांक को ही घटनास्थल जाकर फरियादी की निशांदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था। घटनास्थल पर से आहत प्रवीण बिसेन को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल बिरसा भेजा था। बाद में घटनास्थल से ही मृतक व्यक्ति चिमनलाल कटरे एवं सुंदरलाल का पी.एम फार्म भरकर पी.एम के लिए भेजा था। साक्षी द्वारा मृतक चीमनलाल कटरे एवं सुदरलाल के नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.05 एवं 07 की कार्यवाही कर शव पी.एम. के लिए भेजा था। मृतक चिमनलाल एवं सुंदरलाल के मृत्यु जांच पचंनामा प्र.पी.04 एवं 06 की कार्यवाही साक्षी द्वारा की गयी थी। मृतक चिमनलाल एवं सुदरलाल का पी.एम. फार्म प्र.पी.09ए एवं 10 भरकर पी.एम. के लिए शासकीय अस्पताल बिरसा रवाना किया था। साक्षी ने घटनास्थल से एक सुजुकी मोटरसाईकिल क एम.पी.50 / डी-2872 क्षतिग्रस्त हालत में प्र.पी.12 के जप्ती पंचनामा के द्वारा जप्त की थी एवं गवाह भागचंद पटले, रमेश चौधरी, भागवंती, बृजलाल, कुमेश्वरी कटरे, लालीमा इनवाती, प्रवीण कुमार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने जप्तशुदा वाहन को उनके वारसान को सुपुर्दगी पर दिया था, सुपुर्दगीनामा प्र. पी.13 है। दिनांक 30.12.2012 को बस चालक का पता कर अभियुक्त से वाहन बस क. एम.पी.50 / ई–0168 मय दस्तावेजों के जप्त कर प्र.पी.08 का जप्ती पंचनामा बनाया था एवं भागचंद अ.सा.०२, रमेश चौधरी अ.सा.०३ ने सुंदरलाल, चिमनलाल की मृत्यु जांच पंचनामा प्र.पी.०४, ०६ एवं नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 05, 07 पर कमशः ए से ए एवं बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षीगण के समक्ष पुलिस ने अभियुक्त ओमकार पटेल से बुस कृमांक-एम.पी. 50 / बी—0168 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिस पर कमशः ए से ए एवं बी से बी भाग पर साक्षीगण के हस्ताक्षर हैं। मनोज मांगरे अ.सा.11 ने गवाहों के समक्ष अभियुक्त को प्र.पी.14 के गिरफतारी पंचनामा द्वारा गिरफतार किया था।

18— प्रवीण बिसेन अ.सा.07 प्रकरण की घटना का आहत है। उक्त साक्षी ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने प्रकरण में जप्तशुदा बस को उतावलेपन एवं उपेक्षापर्वूक चलाकर प्रकरण की घटना कारित की थी। प्रवीण बिसेन ने उसकी साक्ष्य में घटना कारित करने वाली बस की गित के बारे में नहीं बताया है। रमेश चौधरी अ.सा.03 घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है परंतु उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। भागचंद अ.सा.02 घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुच

गया था। उक्त साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। उक्त दोनो साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में घटना कारित करने वाली बस की गति एवं बस का नम्बर नहीं बताया है। प्रवीण बिसेन अ. सा.07 ने भी उसकी साक्ष्य में घटना कारित करने वाली बस का नम्बर नहीं बताया है। भागचंद अ.सा.02, रमेश चौधरी अ.सा.03, प्रवीण बिसेन अ.सा.07 ने उसकी साक्ष्य में घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित नहीं की है। इन साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि प्रश्नाधीन प्रकरण की घटना अभियुक्त ने कारित की थी।

लालीमा इनवाती अ.सा.०१ मृतक सुंदरलाल की पुत्री है। कुमेश्वरी कटरे अ.सा.05 मृतक चिमनलाल की पत्नी एवं भागवती अ.सा.06 मृतक सुंदरलाल की पत्नी है। उक्त साक्षीगण को दूसरे व्यक्तियों के बताने के आधार पर घटना के बारे में जानकारी लगी थी। उक्त साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में घटना के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। यह साक्षीगण एवं बृजलाल अ. सा.04) गोपालदास पटले अ.सा.12 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। इस कारण इन साक्षियों की साक्ष्य से घटना का समर्थन होना नहीं माना जाता है। प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने प्रश्नाधीन प्रकरण की घटना कारित की थी। अभियोजन पक्ष प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बस कमांक एम. पी. 50 / ई—0168 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर उक्त वाहन से मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50 / बी-2872 को टक्कर मारकर उसमें बैठे प्रवीण को घोर उपहति कारित कर एवं मोटरसाईकिल पर बैठे मृतक चिमनलाल एवं मृतक सुंदरलाल को बस से टक्कर मारकर मृत्यु इस प्रकार कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 304ए(दो बार), 338 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 20— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 21— अभियुक्त का धारा—428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

22— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बैहर जिला—बालाघाट (दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बैहर जिला–बालाघाट

